न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 62/2021
दायर दिनांक :– 20/09/2021
निर्णय दिनांक :– 24.03.2022

उनवान

1. चमनलाल पिता कन्नीराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. रोशन पिता लखमा वीरवाल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. अनोप कुमार पिता सरजूप्रसाद जायसवाल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. किशनलाल पिता भगवान खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. सीता पत्नी अशोक कुमार रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. मेवालाल पिता भगवान खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मोहनी पुत्री जयचन्द खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. पप्पू पिता मांगीलाल खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. नानीबाई पत्नी मांगीलाल वीरवाल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. (1) लीला पत्नी प्रेमचन्द खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
   (2) दीपक पिता प्रेमचन्द्र खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
   (3) विनोद पिता प्रेमचन्द खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
   (4) ललित पिता प्रेमचन्द खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. खमाणी पुत्री रामा खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. नारी पुत्री रामा खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
7. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट
2. पैरोकार सरकार

–: निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा आकोला पटवार हल्का [illegible] के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की [illegible] खाता सं. 1036 में दर्ज आ.न. 5364 रकबा 0.23 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा [illegible] है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन [illegible]ड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने [illegible] बंटवाडा डिक्री करवानें हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी [illegible] वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2022 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.28 11:37:45 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहु पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा हैक्टे. में
1	चमनलाल पिता कनीराम खटीक निवासी ताणा	5364/4	0.0225
2	अनोपकुमार पिता सरजूप्रसाद जायसवाल निवासी आकोला	5364/1	0.0413
3	रोशनलाल पिता लखमा वीरवाल निवासी ताणा	5364/5	0.0409
4	किशनलाल पिता भगवान खटीक निवासी आकोला	5364/6	0.0267
5	सीतादेवी पत्नी अशोक कुमार रेगर निवासी हिंगवानिया	5364/3	0.0075
6	मेवालाल पिता भगवानलाल खटीक निवासी आकोला	5364/2	0.0200
7	मोहनी पिता जयचन्द खारोल हिस्सा 657/711 पप्पू पिता मांगीलाल, नानीबाई बेवा मांगीलाल हिस्सा 29/1422 खारोल दीपक, विनोद, ललित पिता प्रेमचन्द, लीला पत्नी प्रेमचन्द खारोल (वारिसान प्रेमचन्द खारोल) 29/1422 हिस्सा ब. खमाणी नानी पिता रामा खारोल 29/711 हिस्सा ब. खातेदार	5364 मी.	0.0711

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.03.28 11:37:45 IST
Reason: SelfAttested